न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 30 / 2018 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. विवेकान्द उर्फ शीशराम पुत्र बंशीधर उर्फ बंशीराम जाति गुर्जर निवासी खारियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. रामकुमार उर्फ गोवधन पुत्र बंशीधर उर्फ बंशीराम जाति गुर्जर निवासी खारियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--प्रार्थीगण

ब ना म

1. पटवारी, पटवार हल्का गनोड़ा तहसील दांतारामगढ
2. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ

--अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति--

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक -- 02.02.2021

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 209 लगायत 213 किता 5 कुल रकबा 6.59 है0 वाके ग्राम खारियावास पटवार हल्का गनोड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में वादीगण के पिता स्व0 बंशीधर की हिस्सेदारी हिस्सा 3/8 थी जिनका स्वर्गवास आज से करीब 25 साल पूर्व हो गई थी। जिस वक्त वादीगण की उम्र करीब 5--6 साल थी। वादी संख्या एक को घर में शीशराम के नाम से पुकारते थे जबकि उसके विघालय रिकार्ड में उसका नाम विवेकान्द लिखवा दिया तथा उसी हिसाब से अन्य दजरतोज आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सर्विस रिकार्ड ड्राईविंग लाईसेस पेनकार्ड आदि समस्त रिकार्ड में विवेकानन्द पुत्र बंशीराम दर्ज है। प्रार्थीगण के परिजन निरक्षर देहाती पृष्ठभूमि के भोले भाले कृषक व्यक्ति है। प्रार्थीगण को कम्रश दो नामों यथा विवेकानन्द और शीशराम एवं गोरधन और रामकुमार के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता था। उपरोक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां है। प्रार्थी संख्या एक का शुद्ध एवं सही नाम विवेकानन्द एवं प्रार्थी संख्या दो का सही नाम रामकुमार है जबकि उपरोक्त कृषि भूमियों में शीशराम व गोवर्धन दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमियों में प्रार्थीगण के नाम से भिंन्नता के कारण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में बाधा आ रही है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में चाही गई सहायतानुसार नामों में दुरूस्ती किया जाना उचित व न्याय संगत है। अतः आवदेन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Ro 8 AC
X3

खसरा नम्बर 209 लगायत 213 किता 5 कुल रकबा 6.59 है0 वाके ग्राम खारियावास पटवार हल्का गनौड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम शीशराम व गोवर्धन के स्थान पर प्रार्थीगण का सही व वारित्तविक नाम विवेकानन्द व रामकुमार संशोधित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थीगण व अन्य खातेदार गोपाल के बयान कलमबद्ध किये गये। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम शीशराम व गोवर्धन के स्थान पर प्रार्थीगण का सही व वारित्तविक नाम विवेकानन्द व रामकुमार संशोधित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सम्वत 2072--2075 में खाता संख्या 28 में शीशराम गोवर्धन पिता बन्शीधर जाति गुर्जर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड आदि में शीशराम पुत्र बन्शीधर के स्थान पर विवेकानन्द गुर्जर पुत्र बंशीराम गुर्जर दर्ज है। इसी प्रकार गोवर्धन पुत्र बंशीधर का नाम आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में बंशीधर उर्फ बंशीराम जाति गुर्जर दर्ज है। शीशराम गोवर्धन पिता बंशीधर के स्थान पर विवेकानन्द रामकुमार पिता बंशीराम उर्फ बंशीधर किया जाना उचित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बयानों पर गौर किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थीगण का आवदेन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 209 लगायत 213 किता 5 कुल रकबा 6.59 है0 वाके ग्राम खारियावास पटवार हल्का गनौड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी संख्या एक का नाम शिशराम व प्रार्थी संख्या दो का नाम गोवर्धन के स्थान पर प्रार्थी संख्या एक का सही व वास्तिविक नाम शीशराम उर्फ विवेकानन्द एंव प्रार्थी संख्या दो का सही व वास्तिविक नाम गोवर्धन उर्फ रामकुमार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ